



Neutral Citation No. - 2026:AHC:36245

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी क्रमांक 593/2026

देवेन्द्र कुमार एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(कों) के अधिवक्ता : अखिलेंद्र सिंह, प्रभात कुमार सिंह

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव की बात सुनी गई।

2. यह याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

"प्रतिवादी संख्या 2 (उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड, प्रयागराज/इलाहाबाद) को द्वितीय अपील संख्या 40/2017, कंप्यूटर केस संख्या ए एल 201709550040 (धूम सिंह और अन्य बनाम बाबू राम और अन्य) का इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का आदेश देने हेतु परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।"

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश जनेऊ एवं वन-श्रम अधिनियम की धारा 176 के तहत कार्यवाही से संबंधित निजी प्रतिवादी संख्या 3 और 4 द्वारा दायर दूसरी अपील वर्ष 2017 से राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि याचिकाकर्ता उपरोक्त दूसरी अपील में प्रतिवादी हैं। उन्होंने यह भी बताया कि राजस्व बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड पहले ही मंगवाया जा चुका है और मामला पिछले 8 वर्षों से अधिक समय से लंबित है।

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उपरोक्त अपील के शीघ्र निपटारे के लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं।

4. मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी संख्या 2/ राजस्व बोर्ड, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/ प्रयागराज को निर्देश दिया जाता है कि वह उपर्युक्त द्वितीय अपील संख्या 40/2017 (कंप्यूटर केस संख्या ए एल 201709550040) का निर्णय करे। (धूम सिंह और अन्य बनाम बाबू राम और अन्य) पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर देने के बाद, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर शीघ्रता से।

5. तदनुसार, रिट याचिका का अंतिम **खारिज** किया जाता है।

फरवरी 18, 2026

रामीज

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”